संख्या-40/2021/4774/96-आयुष-1-2021-598/2017

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2021**

विषय-राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध 100 शैय्यायुक्त राजकीय यूनानी चिकित्सालय में उपकरणों/फर्नीचर एवं साज-सज्जा की व्यवस्था हेतु तृतीय किश्त निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1952/यू0नि0/1115-यो0/2021-22, दिनांक 14.12.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध 100 शैय्यायुक्त राजकीय यूनानी चिकित्सालय में उपकरणों/फर्नीचर एवं साज-सज्जा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-15/2020/1266/96-आयुष-1-2020-598/2017, दिनांक 08.07.2020 द्वारा धनराशि रू0-515.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-20.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-8/2021/32/96-आयुष-1-2021-598/2017, दिनांक 14.01.2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-190.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-185.00 लाख (रूपया एक करोड पचासी लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2- निदेशक, यूनानी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें एवं संबंधित प्राचार्य की होगी।
3- निदेशक, यूनानी द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- निदेशक, यूनानी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

7- निदेशक, यूनानी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

10- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

11- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।

12- निदेशक, संबंधित प्राचार्य तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-06-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल-00 के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-40/2021/4774(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी)।
(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी)।
(5) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(7) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमि0 (द्वारा निदेशक, यूनानी)।
(8) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in